प्रकरण संख्या 10/2024 प्रतापसिंह बनाम श्रीमती नन्द कुंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.08.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अमरपुरा में आराजी नंबर 101 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके खातेदार फतहसिंह के निधन के बाद उनके तीनों पुत्रों के मध्य सेटलमेन्ट के तहत विभाजन होकर उनके बटा नंबर कायम हुए। उक्त आराजियात में वादीगण का जन्म से हक अधिकार होते हुए भी फतहसिंह ने प्रतापसिंह व प्रेमसिंह को भूमि विक्रय कर दी, जबकि फतहसिंह को उनके हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। मौके पर क्रेता का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, किन्तु वे वादीगण को हक अधिकारों की चुनौती देते हैं। अतः वाद पत्र कलम संख्या 3 वर्णित आराजियात में वादीगण प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया। उक्त वाद डिक्री होने पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10.05.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया, जबकि नोटिस बोर्ड पर दिनांक 27.07.2017 नियत थी। प्रतिवादी को बिना सुने दिनांक 10.05.2017 को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी पालना रोकी जानी आवश्यक है। उक्त आराजियात में सवसिंह, शिवनाथसिंह का जो हिस्सा था उसमें से 1 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया इसी तरह मुझ प्रतापसिंह ने भी जो भूमि क्रय की उस पर काबिज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी मिलीभगत करके अन्य प्रतिवादीगण की पीठ पीछे वाद डिक्री करा लिया, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:20 IST
Reason: SelfAttested

किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 18.01.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.02.2024 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र मेनारिया उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने दिनांक 10.05.2017 को वाद डिक्री किया है, जिस पर अपीलान्टगण द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उसे भी निरस्त कर दिया, जबकि अपीलान्टगण रजिस्टर्ड क्रेता होने से उन्हें सुना जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा मूलवाद में सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:20 IST
Reason: SelfAttested

के पिता सवसिंह द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर वाद डिक्री कर दिया। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनकर निर्णय किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का स्वीकर कर प्रकरण में वाद का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 451/2021 निर्णय दिनांक 18.01.2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मूलवाद पुनः नंबर पर लेकर प्रतिवादीगण की साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:53:20 IST
Reason: SelfAttested